उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-14/2017/133/92-1-2017-77(अधि0)/2016

लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से शासकीय कार्यहित में श्री के0के0 मिश्रा, अधीक्षण अभियंता, मानीटरिंग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को उनके वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ शासन के अग्रिम आदेशों तक के लिये अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का कार्य अतिरिक्त रूप से निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री के0के0 मिश्रा, अधीक्षण अभियंता को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2017/133(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
8- संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1/2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in